मा. प्रबन्ध परिषद् की ९वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : २७ फरवरी, २०२०

समय : ११:३० बजे पूर्वाह्न

स्थान : दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड़, देहरादून

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल - २४६ १२३

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार पौड़ी गढ़वाल – 246123

प्रबन्ध परिषद् की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त

(Minutes of 9th Meeting of the Board of Management)

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार की प्रबन्ध परिषद् की नौवीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2020 को दून विश्वविद्यालय, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रबन्ध परिषद् के अध्यक्ष डॉ. ए.के. कर्नाटक द्वारा की गई।

प्रबन्ध परिषद् की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–

1.	डॉ0 ए.के. कर्नाटक, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि, श्री प्रकाश तिवारी, अनुसचिव, वित्त)	–	सदस्य
3.	श्री राजेन्द्र सिंह नगन्याल अपर सचिव, कृषि एवं कृषि शिक्षा उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
4.	डॉ. गौरी शंकर, निदेशक कृषि नंदा की चौकी, देहरादून	–	सदस्य
5.	डॉ. के.के. जोशी निदेशक पशुपालन, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
6.	डा0 अरविन्द शुक्ला, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक देहरादून	–	सदस्य
7.	डा0 कमल सिंह, पशुधन प्रजनक पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, देहरादून	–	सदस्य
8.	श्री विजय सिंह जड़धारी, प्रगतिशील किसान	–	सदस्य
9.	सुश्री रंजना रावत, सामाजिक कार्यकर्ता रूद्रप्रयाग		
10.	सुश्री नीलू वर्मा, वित्त अधिकारी, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि, भरसार	–	सदस्य
11.	अधिष्ठाता, वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	–	सदस्य

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

12.	डॉ0 राजेश कौशल, निदेशक शोध, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि, भरसार	–	आमंत्री सदस्य
13.	डॉ0 चन्देश्वर तिवारी, निदेशक–प्रसार वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि, भरसार	–	आमंत्री सदस्य
14.	प्रो0 बी0पी0 नौटियाल, अधिष्ठाता / कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके उपरान्त कुलपति महोदय की आज्ञा पर कुलसचिव द्वारा कार्यसूची (Agenda) के प्रस्तावों को एक–एक कर प्रबन्ध परिषद के सम्मुख विचारार्थ रखा गया।

प्रस्ताव सं0 2019:09:02 **दिनांक 25 जून, 2019 को सम्पन्न प्रबन्ध परिषद् की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त/पारित संकल्प पर की गई कार्यवाही की समीक्षा।**

मा0 प्रबन्ध परिषद् की नौवीं बैठक में मा0 प्रबन्ध परिषद् की आठवी बैठक दिनांक 25 जून, 2019 के सभी कार्यवृत्तों पर पुष्टि प्रदान की।

प्रस्ताव सं0 2020:09:03 **विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं समकक्षों के कैरियर उन्नति प्रणाली (Career Advancement Scheme) के तहत प्रोन्नति के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन सूचकांक (Academic Performance Index, एपीआई) हेतु प्रारूप की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

एपीआई स्कोर शीट यूजीसी विनियम, 2009 और 2012 के अनुसार एवं विश्वविद्यालय की 11वीं विद्वत परिषद की बैठक के कार्यवृत्त संख्या यूयूएचएफ/11/02 द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार शैक्षणिक प्रदर्शन सूचकांक (Academic Performance Index) के प्रारूपों पर विस्तृत चर्चा की गई। क्योंकि विश्वविद्यालय में CAS का क्रियान्वयन स्थापना से ही देय है। अतः यूजीसी रेगुलेशन, जुलाई, 2018 लागू होने से पूर्व जिन शिक्षकों, वैज्ञानिक/समकक्षों का CAS Due है, वह इस प्रारूप पर वर्षवार स्व–मूल्यांकन आख्या विश्वविद्यालय की आंतरिक गुणवत्ता निर्धारण प्रकोष्ठ (IQAC) में जमा करेंगें। जुलाई, 2018 के बाद, सीएएस के लिए एपीआई भी सीधी भर्ती के लिए निर्धारित प्रारूप जोकि उपरोक्त समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है पर ही IQAC को प्रेषित की जायेगी

प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रारूपों पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव सं0 2020:09:04 **विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिक और समकक्ष के लिए सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक प्रदर्शन सूचकांक (एपीआई) के प्रारूप के सम्बन्ध में।**

एपीआई स्कोर शीट विश्वविद्यालय में सह–प्राध्यापक और प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार तैयार कर एवं विश्वविद्यालय की 11वीं विद्वत परिषद की बैठक के प्रस्ताव संख्या यूयूएचएफ/11/02 द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार कर परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत की गई।

इसके अतिरिक्त, सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए स्कोर शीट यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार तैयार कर एवं 11वीं विद्वत परिषद की बैठक के कार्यवृत्त संख्या यूयूएचएफ/11/02 की स्वीकृति उपरान्त परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक प्रदर्शन सूचकांक (एपीआई) के प्रारूप, सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए स्कोर शीट के प्रारूप तथा साक्षात्कार हेतु अंकतालिका के प्रारूप पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0 2020:09:05 **विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य और अधिमानी आर्हताओं के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी रेगुलेशन, जुलाई, 2018 पूर्व में ही विश्वविद्यालय की 7वीं प्रबन्ध परिषद की बैठक के प्रस्ताव संख्या 2018:07:07 द्वारा लागू किया जा चुका है। अतः विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य अर्हतायें यूजीसी रेगुलेशन, जुलाई, 2018 के अनुसार ही प्रस्तावित की गई है। परिषद् के संज्ञान मे लाया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि व्यावसायिक श्रेणी की हैं। अतः 11वीं विद्वत परिषद की बैठक के कार्यवृत्त संख्या यूयूएचएफ/11/04 के द्वारा अधिमानी अर्हताओं जैसेः **सम्बन्धित विषय (Concerned Subject) में विशेषज्ञता** का समावेश किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। सह–प्राध्यापकों/ प्राध्यापकों के लिए भी उपरोक्तानुसार **अनिवार्य और अधिमानी आर्हतायें** लागू होगी।

अतः प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलपति
वीर चन्द सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव सं0 2020:09:06 **यूजीसी 2018 विनियमों के अनुसार आवेदनों की जांच के लिए "स्क्रीनिंग कमेटी" के गठन एवं आवेदनों की "स्क्रीनिंग के लिए मानदंड" निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव संपुष्टि/ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।**

विश्वविद्यालय की 11वीं विद्वत परिषद द्वारा कार्यवृत्त संख्या यूयूएचएफ/11/5 द्वारा सर्वसहमति से सीधी भर्ती हेतु प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए 05 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेठी के गठन पर सहमति उपरांत मा. प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये। समिति में सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान के अधिष्ठाता/ निदेशक, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक, कम से कम एक बाहरी विषय विशेषज्ञ, सह–प्राध्यापक (सहायक प्राध्यापकों के लिए) शामिल होंगें। समिति विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद्, यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2018 द्वारा अनुमोदित न्यूनतम पात्रता, आवश्यक एवं अधिमानी आर्हताओं और एपीआई के अनुसार उम्मीउदवारों की पात्रता की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार होगी। सहायक प्राध्यापक के लिए, प्रति पद आवेदन/पात्र उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर, स्क्रीनिंग समिति, स्क्रीनिंग के लिए आवंटित स्कोर शीट पर उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये अकों के आधार पर शीर्ष रैंक 1/20 के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के संस्तुति करेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त पद के सापेक्ष (समान वेतनमान अथवा विभाग) 05 और उम्मीदवार भी साक्षात्कार हेतु बुलाये जायेगें।

अतः प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव सं0 2020:09:07 **विश्वविद्यालय सेवाओं के पदों की भर्ती के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु सीधी भर्ती में संशोधित आरक्षण/ रोस्टर लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव।**

उत्तराखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या 29/XXXVI/(3)/ 2019/03 (1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण के कार्यान्वयन के मध्यनजर विश्वविद्यालय में शिक्षक/कार्मिक भर्ती के लिए नया रोस्टर तैयार किया गया है। स्वीकृत शैक्षणिक/गैर–शैक्षणिक पदो के लिए रोस्टर चार्ट कुलपति महोदय द्वारा गठित समितियों द्वारा तैयार कर 11वीं विद्वत परिषद् की स्वीकृति उपरान्त अनुमोदन के लिए परिषद् के समक्ष रखा गया है।

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

सह प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों के पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण के सम्बन्ध में मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा निर्देश दिये गये कि इस सन्दर्भ में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन से परामर्श लिया जाय। परामर्श प्राप्त होने के उपरान्त पदों को विज्ञापित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये जिसके लिए पुनः मा. प्रबन्ध परिषद् की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव सं0 2020:09:08 **विश्वविद्यालय मे स्वीकृत शैक्षणिक (Faculty) पदो की भर्ती हेतु विज्ञापन विज्ञापित किये जाने हेतु अनुमोदन के सम्बन्ध मे।**

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में शैक्षणिक पदों को विज्ञापित किया गया था जिनके सापेक्ष कुछ पदों पर भर्ती विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण के मध्यनजर, शैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन को 8वीं प्रबन्ध परिषद् (2019:08:04) के अनुमोदनोपरान्त रद्द कर दिया गया था। रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती हेतु यूजीसी रेगुलेशन 2018 एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिनियमावली में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संख्या **2020:09:03 से 2020:09:06** के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किये जाने तथा **प्रस्ताव सं0 2020:09:07** के क्रम में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग से सह–प्राध्यापकों/ प्राध्यापकों की भर्ती हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर परामर्श उपरांत विज्ञापन प्रकाशित किये जाने हेतु मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा अनुमति प्रदान की गई। यह भी निर्देश दिये गये कि परामर्श प्राप्त होने से पूर्व यदि विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापकों के पदों पर विज्ञापन प्रकाशित कर सकता है तो विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकते हैं। मा. परिषद् द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव पुनः परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव सं0 2020:09:09 **स्वीकृत वैज्ञानिक/समकक्ष पदों/ए0आई0सी0आर0पी0/के0वी0के0 के सर्पोटिंग स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन एवं उनकी योग्यता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

ए0आई0सी0आर0पी0 और के0वी0के0 के वैज्ञानिकों/समतुल्य पदों को भी पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित किया गया था। समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण के मध्यनजर, शैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन को 8वीं प्रबन्ध

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

परिषद् (2019:08:04) के अनुमोदनोपरान्त रद्द कर दिया गया था। पदों (विषय/विशेषज्ञता आदि) एवं रोस्टर प्रक्रिया पूर्ण कर और परिषद् द्वारा अनुमोदन दिये जाने के बाद विश्वविद्यालय शीघ्र ही रिक्त पदों के विज्ञापन के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा **प्रस्ताव सं0 2020:09:07 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये। के.वी.के. सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की आख्या उपरांत कुलपति महोदय के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये।**

प्रस्ताव सं0 2020:09:10 **सीधी भर्ती के लिए विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षकों के लिए वेटेज के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय की स्थापना से ही शैक्षणिक, शोध, प्रसार एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन हेतु सहायक प्राध्यापक (टी.आर.पी.) संविदा के आधार पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में इन संविदा प्राध्यापकों के योगदान के मध्यनजर सीधी भर्ती के दौरान इन्हें सेवाओं के लिये वैटेज दिये जाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव 8वीं प्रबन्ध परिषद् की बैठक (प्रस्ताव सं0 2019:08:12) में भी प्रस्तुत किया गया था। 8वीं प्रबन्ध परिषद् ने प्रस्ताव पर मंजूरी से पहले प्रस्ताव के पक्ष में सरकारी आदेश आदि के बारे में स्पष्ट करने हेतु कहा था।

सूचित करना है कि इन सहायक प्राध्यापकों को वेटेज दिये जाने हेतु प्रस्ताव पूर्व में ही प्रबन्ध परिषद् द्वारा स्वीकृत है। (तृतीय प्रबन्ध परिषद्, प्रस्ताव संख्या 2016:03:05) एवं यह प्रस्ताव उत्तरांचल उच्च शिक्षा के सेवानियमावली, 2003 के अधिसूचना संख्या 703/HE/2003-3(14)2001 दिनांक 25 अगस्त, 2003 और 16 नवम्बर, 2011 का संशोधन (S.No.3, Rule 9;Part 4) के समान है। सहायक प्राध्यापक, (संविदा) के लिए वेटेज साक्षात्कार में उम्मीदवार द्वारा दिए गए कुल अंकों का 2% प्रति वर्ष की दर से (अधिकतम 5 वर्ष यानी 10%) दिया जाएगा यदि अभ्यर्थी यूजीसी के मानकों के अनुसार न्यूनतम अर्हता धारक है, और वह साक्षात्कार के लिए अर्ह पाया गया हो।

अतः उपरोक्त के आलेख में प्रस्ताव पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा पुनः संपुष्टि प्रदान की गई।

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव सं0 2020:09:11 **श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा और दून बिजनेस स्कूल, सेलाकुई, देहरादून के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) के सम्बन्ध में।**

शोध एवं विकास कार्यों को बढावा देना एवं संशाधनों के समुचित उपयोग हेतु अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। जिस हेतु समझौता ज्ञापन (MOU) का प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। यह भी संज्ञान में लाना है कि आई0सी0ए0आर0 से मान्यता (Accreditation) हेतु भी समझौता ज्ञापन (MOU) एक मापदंड है। इसी क्रम **मे** विश्वविद्यालय को श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा और दून बिजनेस स्कूल, सेलाकुई, देहरादून से अनुसंधान परियोजना के लिए MOU करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई तथा निर्देश दिये गये कि MOU करने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। परिषद् द्वारा शैक्षणिक, शोध एवं प्रसार हेतु भविष्य में इस तरह के समझौता ज्ञापनों पर निर्णय हेतु मा. कुलपति महोदय/ अध्यक्ष को अधिकृत किया। परिषद् में उक्त प्रस्ताव मात्र संपुष्टि के लिए प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव सं0 2020:09:12 **विश्वविद्यालय के आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 मे एग्रोफोरेस्ट्री, सिल्विकल्चर, ट्री–इम्प्रूवमेंट, औषधीय एवं सगंध पादप और फल विज्ञान विषयों मे पी0एचडी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।**

स्थायी शिक्षकों की उपलब्धता के मध्यनजर औद्यानिकी और वानिकी के विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हैं। पी0एचडी0 हेतु उपरोक्त विषय (वन उत्पाद एवं उपयोगिता सहित) पहले ही विश्वविद्यालय के 6वीं प्रबन्ध परिषद् (प्रस्ताव सं0: 2018:06:12) और 7वीं प्रबन्ध परिषद् (प्रस्ताव सं0: 2018:07:25) द्वारा अनुमोदित हैं। प्रवेश हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रारंभिक चरण में, उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासियों के लिए दो सीटें और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए एक सीट सहित कुल तीन सीट प्रस्तावित की गई है। प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में एम. एस.सी. 6.5 ग्रेड अंक न्यूनतम आर्हता प्रस्तावित की गई है जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी। पी0एचडी0 कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम आईसीएआर की BSMA के अनुसार होंगे। प्रवेश विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

प्रस्ताव पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा अनुमोदनार्थ प्रदान किया गया।

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल-246123 (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव सं0 2020:09:13 **विश्वविद्यालय के शोध अनुसंधान केन्द्र, गजा की भूमि को उत्तराखण्ड शासन द्वारा गजा नगर पंचायत को स्थानांतरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासनादेश सं0 1036/XVIII(II)/2009-10(25)/2019 राजस्व अनुभाग–2, देहरादून के माध्यम से दिनांक 9 सितम्बर 2019 को खसरा नम्बर 1452, Rakva 1.685 हे०, मध्य राकवा–0.100 हैक्टेयर (5 नाली) श्रेणी–9(3) भूमि जो कि विश्वविद्यालय के गजा अनुसंधान फार्म की है, को नगर पंचायत, गजा के कार्यालय/आवासीय निर्माण कार्यों के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है। सूचित करना है कि भूमि हस्तानान्तरण विश्वविद्यालय की स्वीकृति/ सहमति के बिना किया गया। गजा फार्म पंतनगर विश्वविद्यालय के समय से वर्तमान तक ए0आई0सी0आर0पी0 परियोजनाओं की गतिविधियॉ का मुख्य प्रक्षेत्र रहा है जहां पर पारम्परिक कृषि फसलों जैसे झंगोरा, मंडूवा, चौलाई के साथ–साथ भविष्य की सम्भावनायुक्त फसलें जैसे भंगजीरा इत्यादि पर उल्लेखनीय शोध किये जाते रहें है। प्रकरण 11वीं विद्वत परिषद के संज्ञानार्थ भी रखा गया था। अतः उपरोक्त प्रकरण परिषद के संज्ञानार्थ एवं आवश्यक दिशा–निर्देश हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया एवं सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय पुनः शासन से अनुरोध करें कि प्रक्षेत्र को शोध कार्यों के महत्ता के मध्यनजर विश्वविद्यालय के पास ही रहने दिया जाय। जिससे कि अखिल भारतीय शोध समन्वित परियोजना के शोध कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

प्रस्ताव सं0 2020:09:14 **विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न निजी महाविद्यालयों एवं संस्थानों को कृषि और संबद्ध विषयो (वानिकी, औद्यानिकी, पर्यावरण पर्यटन, कृषि तथा पशुचिकित्सा) को सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषयक प्रस्ताव माननीय सीएम कार्यालय से जोकि मायादेवी एजुकेशनल फाउंडेशन, देहरादून द्वारा यूनिवर्सिटी एक्ट 2015, संख्या 06(द्वितीय संशोधन) यथाः **Insertion of Section 2aa :3(1) From the date of the commencement of this act, college /institutes related to the subject mentioned under Section 6-A, shall be deemed to be affiliated to the VCSG Uttarkahnd Audyaniki evam Vaniki Vishwavidhaylaya and 3(2) The statutes for affiliation of the colleges institutes for university shall be such as may be prescribed subject to the provision of the Act.**. The University Statutes, 2014 (26:

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

1&2) however states: ***As per ICAR Regulations University shall not give affiliation to college /institutes.*** **Therefore needs to be amended as:** ***"University shall give affiliation to college/institutes as per The Uttarakhand Act No 06 (2015) (2nd ammendment) following the guidelines of ICAR".***

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम संख्या 6 (2015) (द्वितीय संशोधन) के आलोक में विश्वविद्यालय परिनियमावली–2014 (26: 1–2) में संशोधन यथा – **उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 6 (2015) (द्वितीय संशोधन) के क्रम में तथा शासन द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार महाविद्यालयों/संस्थानों को आई.सी.ए.आर. के सम्बद्धता विनियम के अनुरूप सम्बद्धता प्रदान कर सकेगा,** पर सहमति व्यक्त की।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों हेतु अम्ब्रेला एक्ट उत्तराखण्ड शासन द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु दिशा–निर्देश प्रस्तावित किये गये हैं। साथ ही साथ सभी राज्य विश्वविद्यालयों हेतु परिनियमावली भी शासन स्तर पर बनाई जा रही है।

उक्त के आलोक में मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 06 (2015) (द्वितीय संशोधन) के अनुसार सम्बद्धता प्रदान की जायेगी तथा भविष्य में सम्बद्धता राज्य विश्वविद्यालय अम्ब्रेला अधिनियम/ परिनियमावली के अस्तित्व में आने के उपरांत अम्ब्रेला अधिनियम/ परिनियमावली में सम्बद्धता हेतु किये गये प्राविधानों के अनुसार किये जायेंगे।

प्रस्ताव सं0 2020:09:15

जीबीपी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर से वी0च0सिं0ग0 उ0औ0वा0वि0वि0, भरसार में सेवाओं के स्थानान्तरण के लिए श्री सोबन सिंह तडियाल और अन्य का अनुरोध, क्योंकि वह इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय रानीचौरी में कार्यरत थे।

अध्यक्ष, विद्वत परिषद् द्वारा बताया गया कि उपरोक्त प्रकरण सहित दोनों विश्वविद्यालयों के पृथक रूप से अस्तित्व में आने से उपजें विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु गठित दोनो कुलपतियों की समिति द्वारा सुझाव शासन को प्रेषित किये जा चुके हैं।

उपरोक्त प्रस्ताव का मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा संज्ञान लिया गया एवं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि प्रेषित सुझावों पर शासन की कार्यवाही हेतु अनुस्मारक प्रेषित करने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय के मा. कुलपति महोदय से अनुरोध करें।

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव सं0 2020:09:16 **श्री विक्रम सिंह नेगी, ग्राम खांड, धर्ममंडल, राजाखेत, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल के अनुरोध पर 2000 केवी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 30 साल के लिए जंखिण्डा में पट्टे पर 3.25 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण (संलग्नक – XII) सम्बन्धित सूचना एवं उचित दिशा निर्देश के सम्बन्ध मे।**

प्रस्ताव विद्वत परिषद की 11वीं बैठक में भी प्रस्तुत किया गया था। परिषद द्वारा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि विश्वविद्यालय के गजा एवं सेलाकुई प्रक्षेत्र/ केन्द्र पहले से ही हस्तानान्तरित किये जाने के प्रस्ताव हैं जोकि विश्वविद्यालय हित में उचित नहीं हैं।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। क्योंकि विश्वविद्यालय के गजा प्रक्षेत्र सहित अन्य केन्द्रों की भूमि/ संसाधनों को पूर्व से ही अन्य संस्थानों को हस्तांतरित किये जाने की कार्यवाही शासन द्वारा गतिमान है। अतः मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रस्ताव विश्वविद्यालय हित में नहीं है। अतः प्रस्ताव को सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अस्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सं0 2020:09:17 **विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षक (सहायक प्राध्यापक) की सेवाओं का आगामी सेमेस्टर के लिए नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**

शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए यूजीसी 2018 के विनियमन और नए आरक्षण (आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के लिए 10%) के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया गतिमान है। अतः भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 6 माह का समय लग सकता है। शैक्षणिक सत्र 2019–20 के पहले सेमेस्टर की परीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए, परिणामों की घोषणा तथा नवीन सत्र की तैयारी जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 27 जनवरी, 2020 से प्रारम्भ हो चुकी है एवं सफल शिक्षण अधिगम कार्यों जिसमें एम0एससी0 शोध (Thesis) कार्य भी सम्मिलित है, जिनका पर्यवेक्षण भी इन संविदा प्राध्यापकों के द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। अतः इन शिक्षकों की सेवाओं की विश्वविद्यालय को अति आवश्यकता थी। अतः महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं के अनुरोध पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और समय से परिणाम की घोषणा तथा नवीन सत्र में शिक्षण अधिगम कार्यों के संचालन हेतु माननीय कुलपति ने इन शिक्षकों की सेवाओं को 6 महीने के लिए नवीनीकृत किये जाने की स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की, कि इसकी संपुष्टि मा. प्रबन्ध परिषद् से करा ली जाय।

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा कहा गया कि क्योंकि विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य एक अनवरत् प्रक्रिया है। परिषद् के संज्ञान में है कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार सत्र नियमित रूप से संचालित किये जा रहे हैं। अतः नियमित शिक्षकों की नियुक्ति तक संविदा प्राध्यापकों की सेवाओं को पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मा. कुलपति द्वारा दी गई स्वीकृति की संपुष्टि मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0 2020:09:18 **कृषि को अल्प श्रम युक्त बनाने के लिए पहाडी क्षेत्रों में कृषि यंत्रीकरण को बढावा देने के लिए प्रसार गतिविधियों की आवश्यकता के मध्यनर के0वी0के0, भरसार और रानीचौरी में पशु विज्ञान/पशु चिकित्सा के स्थान पर फार्म मशीनरी/ कृषि इंजीनियरिंग में विषय वस्तु विशेषज्ञ (SMS) की नियुक्ति के सम्बन्ध मे।**

7वीं प्रबन्ध परिषद् की बैठक के प्रस्ताव सं0: 2018:07:05 के माध्यम से, विषय वस्तु विशेषज्ञ (SMS) (पशुपालन/पशु चिकित्सा) को दोनों कृषि विज्ञान केन्द्रों में कृषि प्रसार विषय में परिवर्तित कर दिया गया था। हालांकि, पर्वतीय कृषि में मशीनीकरण को प्रोत्साहित किया जाना है आवश्यक है, जिससे कृषि अल्प श्रम युक्त बन सके। विद्वत परिषद् की 11वीं बैठक में भी सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई की पहाड़ी क्षेत्रों में मशीनीकरण को बढ़ावा नहीं दिया गया है, जबकि पशु चिकित्सा सुविधायें ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध हैं। अतः परिषद् द्वारा प्रस्ताव संख्या यू.यू.एच.एफ./11/19 पर सहमति व्यक्त करते हुये निदेशक प्रसार को निर्देशित किया कि इस सन्दर्भ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि क्योंकि किसानों की आय दोगुना करने के क्रम में पशुपालन एक महत्वपूर्ण विकल्प है। अतः पशुपालन/ पशु चिकित्सा को यथावत रख जाने के निर्देश दिये गये एवं तद्नुसार विषय वस्तु विशेषज्ञ (SMS) (पशुपालन/पशु चिकित्सा) के चयन हेतु ही स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0 2020:09:19 **पे माइनस (–) पेंशन में एडजेंक्ट प्राध्यापक की नियुक्ति के सम्बन्ध मे।**

विश्वविद्यालय के शीतोष्ण फलों के लिए "उत्कृष्टता केन्द्र" काणाताल में वर्तमान में पद स्वीकृत न होने के कारण कोई भी वैज्ञानिक/विषय विशेषज्ञ नियुक्त नहीं है। इसी तरह, विश्वविद्यालय मुख्यालय भरसार में प्रक्षेत्र/ बगीचों के विकास हेतु कोई भी वरिष्ठ बागवानी विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की गई है। विश्वविद्यालय परिनियमावली के धारा 8(क) 20 के अनुसार पे माइनस (–) पेंशन पर एडजेंक्ट प्राध्यापक पद

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल-246123 (उत्तराखण्ड)

विज्ञापित किया जा सकता है, जिसकी नियुक्ति वर्षवार अधिकतम 02 वर्ष के लिए अथवा नियमित प्राध्यापक/ सह–प्राध्यापक की नियुक्ति, जो भी पहले हो तक रिक्त पदों के सापेक्ष पे माइनस (–) पेंशन पर नियुक्ति प्रस्तावित है। उक्त पदों पर नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किये जाने तथा कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा आवश्यक विषयों हेतु पे माइनस (–) पेंशन पर एडजेंक्ट प्राध्यापकों की नियुक्ति उपरोक्तानुसार किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

प्रस्ताव सं0 2020:09:20 **विश्वविद्यालय के शिक्षण/शोध अधिकारियों के पदनामों में एकरूपता यथाः सहायक प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/प्राध्यापक और वैज्ञानिक/ वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्रधान वैज्ञानिक जो कि आई0सी0ए0आर0 प्रणाली के अनुरूप हैं, को लागू करने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न ए0आई0सी0आर0पी0 तथा के0वी0के0 में वैज्ञानिकों/शोध अधिकारियों के अलग–अलग पदनाम दिए गए हैं। जैसे सहायक प्राध्यापकों/ वैज्ञानिकों के लिए जूनियर ब्रीडर/जेआरओ इत्यादि। इन वैज्ञानिकों/ शोध अधिकारियों/ सहायक प्राध्यापकों को समय–समय पर गोष्टियों/ कार्यशालाओं तथा आई0सी0ए0आर0 के विभिन्न संस्थानों प्रतिभाग के समय आवास और पारिश्रमिक सम्बन्धी परेशानियां उत्पन्न होती है।

अतः उपरोक्तानुसार पदनामों में एकरूपता बनाये रखने के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा सहमति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0 2020:09:21 **10वीं शैक्षणिक परिषद् बैठक के अनुसार पी0जी0 शोधार्थियों हेतु पृथक फंड के सम्बन्ध मे।**

उपरोक्त प्रस्ताव पर 10वीं शैक्षणिक परिषद् की बैठक में स्वीकृति प्रदान गई थी। परन्तु प्रस्ताव वित्त समिति/ 8वीं मा. प्रबन्ध परिषद् की बैठक में प्रस्तावित नहीं किया जा सका था। विद्धत परिषद् की 11वीं बैठक में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया गया। परिषद् द्वारा पी.जी. शोध/ प्रयोगशाला हेतु जो शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा छात्र–छात्राओं से लिया जाता है। उसे छात्रों से सम्बन्धित व्यय हेतु पूर्व से ही स्वीकृत निधि (Maintenance Fund) में सम्मिलित कर आवश्यकतानुसार शोध हेतु व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करने विषयक।

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 2019:05:10 द्वारा उपरोक्त कार्यो हेतु महाविद्यालय स्तर पर एकल खाता – छात्र कल्याण निधि खाता खोले जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव सं0 2020:09:22 **शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए "विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा" की प्रक्रिया।**

उपरोक्त प्रस्ताव पर विद्धत परिषद् 11वीं बैठक में विस्तार से चर्चा करने के उपरांत विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (UET) हेतु निम्न तिथियां निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्धारित किया गया कि प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन अथवा ऑफ लाइन माध्यम से भरे जायेंगे।

1. आवेदन पत्र भरना:
   अ. बिना विलम्ब शुल्क: 28.04.2020 से 27.05.2020
   ब. विलंब शुल्क के साथ: 28.05.2020 से 04.06.2020 तक
2. आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि:
   अ. बिना विलम्ब शुल्क : 03.06.2020
   ब. विलंब शुल्क के साथ: 09.06.2020
3. प्रवेश परिक्षा की तिथि : 28 जून, 2020
4. परिणाम घोषणा की तिथि: 10 जुलाई, 2020 (10 जुलाई, 2020 को या उससे पहले)
5. कांउसलिंग की तिथि : 23 जुलाई, 2020 (UG) और 24 जुलाई, 2020 (PG)
6. पंजीकरण की तिथि: 04 अगस्त 2020
7. कक्षाओं की शुरूआत: 05 अगस्त 2020

विद्धत परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति पश्चात मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा संज्ञान लिया गया एवं संपुष्टि प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0 2020:09:23 **विश्वविद्यालय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय निमयानुसार 03 वर्ष बाद शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत बढ़ोतोरी तथा पाठ्यक्रम हेतु एक बार (One time) सेवायोजन शुल्क (Placement fee) को लिये जाने का प्रस्ताव।**

मा. प्रबन्ध परिषद् की छठी बैठक के प्रस्ताव संख्या 2008:06:29 के अनुसार, प्रत्येक तीन वर्ष बाद शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि का प्राविधान है। परिणामस्वरूप, इस क्रम में शैक्षणिक सत्र 2020–21 से शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति 11वीं विद्धत परिषद् की बैठक में दी गई। छात्र–छात्राओं को पाठ्यक्रम जनित

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल-246123 (उ.)

शैक्षणिक भ्रमण एवं समय–समय पर विभिन्न संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ औद्योगिक ईकाईयों के भ्रमण हेतु प्रति सत्र रू0 500/– यात्रा शुल्क एवं रोजगार के अवसरों को सुनियोजित एवं व्यापक तरीके से एवं साक्षात्कार आयोजित करने के लिए सेवायोजन प्रकोष्ठ के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु एक बार (One time) सेवायोजन शुल्क (Placement fee) रू0 200/– लिये जाने की स्वीकृति उपरांत मा. प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विद्धत परिषद्/ वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति का मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा संज्ञान लिया गया एवं तद्नुसार सहमति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0 2020:09:24 **प्रश्न पत्र सेटिंग और उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु वर्तमान पारिश्रमिक में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महाविद्यालयों के परीक्षा समन्वयकों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान दरों पर प्रश्न पत्र सेटिंग एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराये जाने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है। क्योंकि मूल्यांकन के लिए मौजूदा पारिश्रमिक दरें शिक्षाविदों को आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त है। अतः इसे संशोधित करने की आवश्यकता है। विद्धत परिषद् की 11वी बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्न पत्र सेट प्रति पेपर सेंटिग– रू0 1500/– एवं प्रति उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन रू0 30/– न्यूनतम प्रति विषय रू0 1000/– संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव।

उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय कि पारिश्रमिक हेतु पंतनगर विश्वविद्यालय की दरों के अनुरूप किये जाने पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव सं0 2020:09:25 **विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, निदेशक शोध, निदेशक प्रसार एवं निदेशक शैक्षणिक कार्यालयों के लिए पृथक रूप से बजट आंवटन किये जाने के सम्बन्ध में।**

वर्तमान में विश्वविद्यालय में केवल महाविद्यालयों, केन्द्रों हेतु ही शासन से बजट आवंटित किया जाता है, जबकि विश्वविद्यालय स्थापना के पश्चात स्थापित कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय, वित्त नियंत्रक कार्यालय, शोध निदेशालय प्रसार निदेशालय तथा निदेशक शैक्षणिक कार्यालयों के लिए पृथक रूप से बजट आंवटित नहीं किया जा रहा है। जिससे इन वैधानिक कार्यालयों के कुशल और प्रभावी संचालन में कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं।

कुलपति
सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
वानिकी विश्वविद्यालय
249123 (उत्तराख

उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के निर्णयानुसार शासन से इन कार्यालयों हेतु बजट आवंटन के लिए आगामी वित्त वर्ष से पृथक लेखा शीर्षक हेतु मांग सम्बन्धी प्रस्ताव को मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0 2020:09:26 **विश्वविद्यालय के शोध एवं प्रसार केन्द्र, सेलाकुई का स्थानांतरण, सेंटर ऑफ एरोमैटिक प्लांट, सेलाकुइ को किये जाने के सम्बन्ध में।**

सचिव, उत्तराखण्ड सरकार के पत्र संख्या 30/XIII/2020-10(12)/2018 दिनांक 09 जनवरी, 2020, शोध एवं प्रसार केन्द्र सेलाकुई के हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। क्योंकि विश्वविद्यालय एक स्वायतशासी संस्था है। अतः उल्लेखित आदेश विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद् के समक्ष अग्रिम आदेशों हेतु प्रस्तुत किया गया दिनांक 14.01.2020 को सम्पन्न हुई विश्वविद्यालय की 11वीं विद्वत परिषद् की बैठक में विश्वविद्यालय को निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में शासन को केन्द्र में किये गये कार्यों एवं भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया जाय कि विगत 05 वर्षों के दौरान सेलाकुई कैम्पस की स्थापना हेतु आई.सी.ए.आर./ राज्यान्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से भवनों/ परिसम्पत्ति निर्माण पर रू0 426.20 लाख, पॉलीहाउस निर्माण पर रू0 152.22 लाख एवं प्रयोगशाला उपकरणों/ कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर रू0 83.78 लाख की लागत व्यय की गई है। चूंकि यह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय का एकमात्र शोध केंद्र है और इसलिए केन्द्र को स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। अतः यह विश्वविद्यालय के लिए महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित 03 महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं को ग्रामीण कृषि/औद्यानिकी अनुभव कार्यक्रम एवं अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से विशेषतया उष्णकटिबंधीय फसलों के अनुभव हेतु सम्बद्ध किया जाता रहता है। इसके अतिरिक्त भवष्यि में यह केंद्र व्यावहारिक और अनुसंधान उद्वेश्य के साथ–साथ उष्णकटिबंधीय बागवानी फसलों की गुणवत्ता रोपण सामग्री विकसित किये जाने के लिए **"उपोष्णकटिबंधीय बागवानी केंद्र"** के रूप में भी विकसित किया जाएगा। जिस पर विगत कुछ माह से कार्य गतिमान है। विद्वत परिषद् द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय की पूर्व स्वीकृति/ सहमति के बिना गजा शोध केन्द्र जोकि कई वर्षों से अखित भारतीय समन्वित शोध परियोजाओं हेतु एक महत्त्वपूर्ण फार्म रहा है, की भूमि स्थानान्तरण के बाद सेलाकुई केन्द्र भी हस्तांतरित किया जा रहा है। अतः प्रकरण

कुलपति

विश्वविद्यालय की मा. प्रबन्ध परिषद् के साथ–साथ शासन प्रेषित किये जान का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श उपरांत परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि केन्द्र को सेन्टर ऑफ ऐरोमेटिक प्लांट, सेलाकुई को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्तमान में केन्द्र में शोध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं एवं केन्द्र विश्वविद्यालय का एकमात्र उपोष्णकटिबंधीय केन्द्र है जोकि शिक्षण गतिविधियों के संचालन के साथ–साथ शोध एवं प्रसार हेतु भी विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है।

प्रस्ताव सं0 2020:09:27

मा. प्रबन्ध परिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2014 के प्रस्ताव संख्या 1/4 के द्वारा श्री विमल प्रसाद जुगरान, लेखाधिकारी की सेवाओं को विश्वविद्यालय में संविलियन किये जाने की पुष्टि की तथा निर्देश दिये कि उक्त सम्बन्ध में शासन के प्रशासनिक विभाग से भी पुष्टि करा ली जाए। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 624/XIII(II)/2019–03 (12)/2015 दिनांक 23 सितम्बर, 2019 के क्रम मे निर्देशित किया गया है कि क्योंकि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार लेखाधिकारी पद के नियुक्ति प्राधिकारी कुलपति हैं। अतः लेखाधिकारी के समायोजन/ संविलियन प्रकरण पर भी कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर पर ही की जानी थी।

विश्वविद्यालय की मा. प्रबन्ध परिषद् की प्रथम बैठक के प्रस्ताव संख्या 1/4 द्वारा पूर्व में ही श्री वी.पी. जुगरान की विश्वविद्यालय में सेवाओं के संविलियन हेतु स्वीकृति दी जा चुकी थी एवं मा. प्रबन्ध परिषद् की द्वितीय बैठक के प्रस्ताव सख्या 2/2.1 द्वारा पुष्टि की जा चुकी है। अतः प्रकरण परिषद् के सूचनार्थ।
मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर संज्ञान लिया गया एवं संपुष्टि प्रदान की।

प्रस्ताव सं0 2020:09:28

विश्वविद्यालय की स्थापना से ही विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में पूर्व से ही स्वीकृत शिक्षणेत्तर पदों एवं शासन को प्रेषित विश्वविद्यालय संरचनात्मक ढाँचे में प्रस्तावित पदों की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय परिनियमावली के प्रस्तर संख्या 8 (क) नियुक्तियां (दस) एवं (बारह) तथा शासनादेश 474/XIII-II/2012–01(12)/2012 दिनांक 10 जुलाई, 2012 के अनुपालन में उपनल के माध्यम से कार्मिक न्यूनतम आवश्यकतानुसार आउटसोर्स किये गये थे। जिसमें प्रक्षेत्र क्षेत्रों में कृषि कार्य/ बागवानी के लिये श्रमिक/ चौकीदार (समूह–घ) भी सम्मिलित हैं। विश्वविद्यालय में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार उनकी शैक्षिक योग्यता के

कुलपति
वी० च० सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

अनुसार पदनाम परिवर्तन/ वेतन उच्चीकृत एवं विश्वविद्यालय में विनियमितीकरण हेतु प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त उपनल के माध्यम से विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्यों हेतु टीचिंग पर्सनल (टी.पी.) भी नियुक्त हैं, जिन्हें उपनल के मानकों के अनुसार रू0 29655.00 प्रतिमाह एवं 8400 त्रैमासिक प्रोत्साहन भत्ता देय है। टीचिंग पर्सनलस् द्वारा भी समय–समय पर संविदा सहायक प्राध्यापकों के समान वेतन दिये जाने की मांग की जाती रहती है। दिनांक 09 सितम्बर, 2019 को मा. राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया की अध्यक्षता में राजभवन में हुई राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा शासन के उच्चाधिकारियों की बैठक के कार्यवृत्त संख्या XX द्वारा भी विश्वविद्यालयों में तैनात उपनल कार्मिकों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था बनाये जाने तथा नियमित नियुक्ति में आयु सीमा में छूट तथा अधिमान दिये जाने हेतु विश्वविद्यालयों के प्रशासकीय विभाग से नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा–निर्देश दिये गये हैं। मा. प्रबन्ध परिषद् की तृतीय बैठक के प्रतिपूरक प्रस्ताव संख्या 2016:03:10 (3) तथा 2016:03:10 (5) के क्रम में कार्मिकों द्वारा लगातार की जा रही उपरोक्त मांगों के सन्दर्भ में पुनः प्रस्ताव विचारार्थ एवं आवश्यक दिशा–निर्देश हेतु प्रस्तुत।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रकरणों पर गहन विचार–विमर्श किया गया। परिषद् द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरणों को उपनल से सम्बन्धित बताया गया। अतः कार्यवाही भी उपनल के माध्यम से ही किये जाने हेतु निर्देशित किया ।

प्रस्ताव सं0 2020:09:28

विश्वविद्यालय में कार्यरत समूह–घ के योग्यताधारी नियमित कर्मचारियों को पदोन्नति दिये जाने हेतु शासनदेश संख्या 966/XXX(2)/2011 दिनांक 29 जून, 2011 को विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर सेवानियमावली–2016 में संशोधन कर शामिल किये जाने हेतु।

विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर सेवानियमावली–2016 पृष्ठ संख्या 07 एवं क्रम संख्या 30 पदनाम कनिष्ठ सहायक/कनिष्ठ लिपिक (वेतनवैन्ड 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900) में स्वीकृत 21 पद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त दर्शाये गये हैं। जबकि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार 15 प्रतिशत हाईस्कूल व 10 प्रतिशत इण्टरमीडिएट योग्यताधारी कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु आरक्षित किये जाने चाहिये थे।

परिषद् में प्रस्तुत प्रस्ताव संलग्न शासनादेश के अनुरूप हैं। अतः मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव सं0 2020:09:29

वीर चन्द्र सिंह गढवाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के मा० कुलपति महोदय के उपयोग हेतु नये वाहन सहित औद्यानिकी महाविद्यालय हेतु एक महिन्द्रा पिकअप (Single Cabin) एवं वानिकी महाविद्यालय रानीचौरी हेतु ऐम्बुलेंस क्रय सम्बन्धित प्रस्ताव। विश्वविद्यालय के मा० कुलपति महोदय द्वारा वर्तमान में जो वाहन उपयोग में लाए जा रहे वाहन क्रमशः स्कॉर्पियो वर्ष 2009 एवं एम्बेसडर वर्ष 2011–12 में क्रय किये गये थे। स्वाभाविक रूप से वाहन पुराने हो गये हैं। ज्ञातव्य है कि विश्वविद्यालय का मुख्यालय एक अति दुर्गम पहाडी क्षेत्र पर स्थित होने के कारण एवं विश्वविद्यालय के अन्य संस्थान विभिन्न जिलों में दूर–दूर होने के कारण कुलपति महोदय को समय–समय पर अन्य संस्थानों का दौरा भी करना होता है। अतः मा० कुलपति महोदय हेतु नए वाहन (इनोवा–क्रिस्टा) को क्रय किया जाना तर्कसंगत एवं आवश्यक है।

विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थापित है। परिसर से निकटवर्ती पाबो बाजार की दूरी लगभग 35 किमी0 एवं पौड़ी बाजार की दूरी लगभग 60 किमी0 है। परिसर पूर्ण रूप से आवासीय होने के कारण 250 छात्र–छात्राओं सहित परिसर में शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी आवासित हैं। अतः छात्र–छात्राओं से सम्बन्धित कार्यों यथा भोजनालय की व्यवस्थायें, प्रक्षेत्र/ क्षेत्रों हेतु माल ढुलाई तथा कार्योलयों के संचालन हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय की जाती है। परन्तु ढुलाई हेतु परिसर में कोई भी वाहन उपलब्ध न होने के कारण किराये के वाहन उपयोग में लाये जाते हैं, जिस कारण माल भाड़ा पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय होता है एवं आवश्यकता एवं विषम परिस्थिति (अत्यधिक बर्फबारी) के समय किराये पर वाहन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में एक महिन्द्रा पिकअप (Single Cabin) किया जाना प्रस्तावित है।

वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी में वर्तमान में उपलब्ध बस जर्जर अवस्था में है एवं पहाड़ी क्षेत्रों हेतु वैधता 2020 में समाप्त हो रही है। क्योंकि निकटवर्ती बाजार तथा विद्यालयी सुविधायें परिसर से लगभग 10 किमी. दूर है एवं सार्वजनिक यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। परिसर में वानिकी के छात्र–छात्राओं के अतिरिक्त पर्वतीय कृषि महाविद्यालय, चिरबटिया के छात्र–छात्रायें भी अध्ययनरत् हैं। अतः नयी बस (42 सीटर टाटा मार्कोपोलो स्कूल बस) का क्रय किय जाना अति–आवश्यक है।

वाहनों के क्रय पर होने वाले व्यय को सम्बन्धित महाविद्यालयों /विश्वविद्याल की बचत/ आय से किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव पर परिषद् में विस्तार से विचार–विमर्श किया गया एवं यह स्वीकार किया गया कि मांग किये गये वाहनों जिसमें कुलपति महोदय के उपयोग हेतु (इनोवा–क्रिस्टा), भरसार महाविद्यालय हेतु महिन्द्रा

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल-246123 (उत्तराखण्ड)

पिकअप (Single Cabin) एवं रानीचौरी महाविद्यालय हेतु 42 सीटर टाटा मार्कोपोलो स्कूल बस का क्रय किया जाना अति आवश्यक है। अतः मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा वाहनों के क्रय हेतु वित्त समिति द्वारा स्वीकृति उपरांत इस निर्देश के साथ अनुमोदित कि, इस सबन्ध में सम्बन्धित शासनादेशों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

प्रस्ताव सं0 2020:09:30 **"एक गाँव परामर्शी सेवा" द्वारा विश्वविद्यालय में कृषि तकनीकी सम्बन्धी Incubation केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय में "कृषि तकनीकी सम्बन्धी Incubator केन्द्र" की स्थापना की जानी आवश्यक है। जिससे कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं को नवोनमेषी रोजगार परक क्रियाकलाप एवं गुणवत्तापरक कृषि उद्यममिता को बढ़ावा मिल सके। Incubator केन्द्र की स्थापना से ICAR से विश्वविद्यालय की मान्यता हेतु एक महत्त्वपूर्ण कारक हो सकता है।
"एक गाँव परामर्शी सेवा" द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर भरसार में कृषि तकनीकी सम्बन्धी Incubation केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

प्रस्ताव सं0 2020:09:31 **सहायक प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी पद हेतु न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विद्धत परिषद् की 11वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या यू.यू.एच.एफ./11/40(2) द्वारा सहायक प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी हेतु न्यूनतम अर्हता M.Tech. किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गई। परिषद् द्वारा संज्ञान लिया गया कि यू.जी.सी. विनियम 2018 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जिन विषयों में यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर./SLET/SET द्वारा नहीं आयोजित की जाती है उनमें सहायक प्राध्यापक हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि ही मानी जायेगी। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा भी कृषि अभियांत्रिकी विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। हालांकि आई.सी.ए.आर द्वारा कृषि अभियांत्रिकी विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया एवं निर्देश दिये कि क्योंकि कृषि अभियांत्रिकी विषय की मान्यता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा प्रदत्त की जाती है। अतः

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार-246123 (उत्तराखण्ड)

AICTE / यू.जी.सी. / सी.एस.आई.आर. / SLET/SET के अनुसार ही न्यूनतम पात्रता निर्धारित की जाये।

प्रस्ताव सं0 2020:09:32 **विश्वविद्यालय द्वारा विकसित / उत्पादित बीजों को "केदार बीज" के नाम अवमुक्त / वितरित किये सम्बन्धी प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के परिसर तथा केन्द्र की भौगोलिक अवस्थिति मुख्यतः उच्च शिखरीय क्षेत्रों में है। जिस कारण पारम्परिक फसलों, नकदी फसलों तथा औषधीय एवं सगंध पादपों के उत्पादन में विविधता प्रस्तुत करते हैं इनमें से कुछ फसलों को विश्वविद्यालय द्वारा शोध एवं विकास हेतु प्राथमिकता देने के साथ–साथ इन फसलों के बीज उत्पादन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा इन फसलों के बीज उत्पादन को विश्वविद्यालय के मा. कुलपति द्वारा "केदार बीज" नाम प्रस्तावित किया गया है।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्ताव प्रसन्नता व्यक्त की गई एवं प्रस्ताव पर सहर्ष अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव सं0 2020:09:33 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।**

प्रतिपूरक प्रस्ताव सं0 2020:09:33 (01) Indian Nurserymen Association के समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत पौधशाला उत्पादन एवं बागवानी फसलों का प्रबन्धन हेतु संयुक्त रूप से उद्यममिता एवं कौशल विकास ईकाई की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव ।

Indian Nurserymen Association के पत्रांक HR-2655-87/88 दिनांक 24.02.2020 जो मा. कुलपति महोदय को सम्बोधित है एवं उपरोक्त विषय से सम्बन्धित है को परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अपनी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

प्रतिपूरक प्रस्ताव सं0 2020:09:33 (02) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड़, नई दिल्ली द्वारा शीतोष्ण बागवानी फसलों के प्रवेश प्रविष्टि संगरोध सुविधा (Post Entry Quarantine) हेतु विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में 20 है0 भूमि पर स्थापना संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड़, नई दिल्ली पत्रांक Prodn./Veg/(7)/NSC/2019-20 दिनांक 26. 02.2020 जो मा. कुलपति महोदय को सम्बोधित है एवं उपरोक्त विषय से सम्बन्धित है को परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अपनी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी-246123 (उत्तराखण्ड)

प्रतिपूरक प्रस्ताव सं0 2020:09:33 (03) डॉ. लक्ष्मी रावत, कनिष्ठ शोध अधिकारी (पादप सुरक्षा) द्वारा उनकी सेवाओं का विश्वविद्यालय में स्वीकृत रिक्त सहायक प्राध्यापक के पद के सापेक्ष आमेलन/ वेतन स्त्रोत का परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव।

डॉ. लक्ष्मी रावत, कनिष्ठ शोध अधिकारी (पादप सुरक्षा) विश्वविद्यालय में अगस्त 2012 से कार्यरत हैं, दिनांक 30.09.2013 को कृषि विज्ञान केन्द्र, टिहरी गढ़वाल में विषय वस्तु विशेषज्ञ (पादप सुरक्षा) 15600–39100 + AGP 5400) के पद पर नियुक्त हुई एवं दिनांक 23.09.2014 को विश्वविद्यालय में AICRP के अन्तर्गत संचालित Small Millet परियोजना में कनिष्ठ शोध अधिकारी (15600–39100 + AGP 6000) के पद पर चयनित होने के पश्चात वर्तमान तक कार्यरत हैं। डॉ. लक्ष्मी रावत, वानिकी महाविद्यालय में संचालित बी.एस.सी. वानिकी/ कृषि तथा एम.एस.सी. कृषि पाठ्यक्रमों में पादप रोग विज्ञान से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का शिक्षण कार्य भी कर रही हैं तथा एम.एस.सी. शोध कार्य छात्र सलाहकार के रूप में भी सफलतापूर्वक सम्पन्न कर रही हैं। डॉ. लक्ष्मी रावत द्वारा विगत 06 वर्षों में 22 शोध परियोजनायें सफलतापूर्वक पूर्ण की तथा वर्तमान में भी लगभग 25 शोध परियोजनाओं का संचालन कर रही हैं, जिनकी लागत लगभग रू0 3.00 करोड़ से अधिक है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि डॉ. लक्ष्मी रावत विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण Asset हैं। उनके द्वारा उल्लेखित प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रेषित किया गया है तद्नुसार प्रस्ताव मा. प्रबन्ध परिषद् के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एवं डॉ. लक्ष्मी रावत के उपरोक्त शोध/शिक्षण कार्यों के मध्यनजर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि प्रस्ताव को उत्तराखण्ड शासन के प्रशासनिक विभाग में अवलोकनार्थ/ सहमति हेतु प्रेषित किया जाय।

प्रतिपूरक प्रस्ताव सं0 2020:09:33 (04) श्री विमल प्रसाद जुगरान, लेखाधिकारी द्वारा विभागीय पदोन्नति हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन।

शिक्षणेत्तर कार्मिक सेवानियमावली– 2016 के परिशिष्ठ 'क' के क्रम संख्या 3 में स्वीकृत उप वित्त नियंत्रक के पद पर नियुक्ति के अनुसार, "विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे लेखाधिकारियों में से, जिन्हें अपने पद पर तीन वर्ष की सेवा का अनुभव हो, पदोन्नति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाना है"

श्री विमल प्रसाद जुगरान की शैक्षिक योग्यता एम.कॉम. है तथा लेखा संवर्ग में उन्हें लगभग 26 वर्ष का अनुभव है, जिनमें से लेखाधिकारी के पद पर लगभग 7 वर्ष से अधिक का अनुभव, जिसमें संविलियन के उपरांत लगभग 4.5 वर्ष का अनुभव तथा लगभग 7 वर्ष का उप वित्त नियंत्रक के अतिरिक्त दायित्व का अनुभव है। अतः शिक्षणेत्तर कार्मिक सेवानियमावली– 2016 में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता/ अनुभव तथा अधिमानी अर्हताओं को श्री जुगरान पूर्ण करते हैं।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा निर्देश दिये गये कि क्योंकि वर्तमान में विभागीय पदोन्नति पर रोक यथावत है। अतः पदोन्नतियों पर रोक हटने के उपरान्त नियमानुसार पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति गठित कर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाय एवं चयन होने पर संपुष्टि मा. प्रबन्ध परिषद् से करा ली जाय।

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी 246123 (उत्तराखण्ड)

प्रतिपूरक प्रस्ताव सं0 2020:09:33(05) वित्त समिति की पाँचवी बैठक के सभी संकल्पों पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रतिपूरक प्रस्ताव सं0 2020:09:33(06) विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों द्वारा विनियमितीकरण बावत् प्रत्यावेदन।

विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों (संविदा) द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा लगभग 07 वर्षो से विश्वविद्यालय में सेवायें दी जा रही हैं जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय की मा. प्रबन्ध परिषद् के तृतीय बैठक के प्रस्ताव संख्या 2016:03:07 तथा सातवी बैठक के प्रस्ताव संख्या 2018:07:18 एवं आठवी बैठक के प्रस्ताव संख्या 2019:08:03 द्वारा विनियमितीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित की गई थी, जिस पर कार्यवाही लम्बित है। प्रत्यावेदन में विनियमितीकरण हेतु पुनः स्वीकृति प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

प्रस्ताव पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त एवं संविदा प्राध्यापकों की विश्वविद्यालय को दी गई सेवाओं के मध्यनजर शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

13/3/2020

(प्रो0 बी0पी0 नौटियाल)
कुलसचिव/सदस्य–सचिव
प्रबन्ध परिषद

कुलपति

(प्रो0 ए0के0 कर्नाटक)
कुलपति/ अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद